



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6965

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 509 वर्ष 2026

तुषार राठौरआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : सत्यम नारायण

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री सत्यम नारायण, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री पीयूष पाण्डेय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री अरुण कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 239 वर्ष 2025, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 9(1)क(i), 25(2), 27(1) शस्त्र अधिनियम, थाना सदर बाजार, जिला मेरठ में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक ने दिनांक 11.09.2025 को अपराहन लगभग 4:00 बजे मृतक को उसके घर से अपनी एक्टिव पर ले जाया और सायंकाल लगभग 6:45 बजे मृतक के मोबाइल नम्बर 8958380160 से सूचनाकर्ता की पत्नी को फोन कर यह कहा कि उसके पुत्र को विपुल वाल्मीकि द्वारा गोली लगी है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। उसने एक सद्भावना-पूर्ण कार्य के रूप में मृतक की माँ को घटना की सूचना दी थी। यदि वह अपराध में शामिल होता तो मृतक की माँ को घटना की सूचना देने की उसे चिन्ता नहीं होती, अतः वह जमानत का अधिकारी है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 12.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि घटनास्थल स्वयं आवेदक का घर है और वह घटनास्थल से भाग गया, अतः उसका आचरण अपराध में उसकी संलिप्तता को स्वयं प्रकट करता है, इसलिए वह जमानत का अधिकारी नहीं है।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी घटना के प्रति किसी व्यक्ति की कोई निर्धारित प्रतिक्रिया नहीं हो सकती और आवेदक ने मृतक की माँ को घटना की सूचना दी थी, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथम दृष्टया मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक तुषार राठौर, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

(रवि कान्त)